२७
२२.०५.२४

वादी की ओर से एक प्रार्थनापत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी ने प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अब इस वाद पत्र में हमें कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः वादी के पुनः वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, पक्षकारान का राजीनामा होने के कारण यह वाद इसी स्तर पर नोट केस के आधार पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। इसलिए वादी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वादी का यह वाद पत्र नोट केस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तामील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जा[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मांगीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2024.05.23 10:34:16 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]